प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड नैनीताल

प्रेषित

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग
रामनगर(नैनीताल)

पंत्राकः– 2415/सि0ख0नै0/अनु0/राजस्व(वन भूमि)/ दिनांकः– 08 दिसम्बर,2023

विषयः– जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग,रामनगर के कालाढूँगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूँगी नहर के लिए बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु 0.35 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु सिंचाई विभाग से प्रत्यावर्तन (on line no. FP/UK/IRRIG/155063/2022)

संदर्भ–भारत सरकार पर्यावरण,वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,उत्तराखण्ड,देहरादून का पंत्राक 8B/UCP/09/78/2022/FC/1312 दिनांक 30.12.2022 ।

महोदय,

संन्दर्भित पत्र के माध्यम से विषयांकित प्रकरण पर आपत्ति लगायी गयी थी,जिनका प्रतिउत्तर पूर्व में इस कार्यालय के पत्र संख्याः–72/सि0ख0नै0/अनु0/राजस्व(वन भूमि) दिनाक 17.01.2023 द्वारा भेज दिया गया था पुनः बिन्दु संख्या 8 के क्रम में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु आवेदित भूमि के टाईगर कारिडोर में स्थित होने के संबध में आख्या चाही गयी थी (आपके कार्यालय के पत्र संख्याः–1972/12/रामनगर दिनांक 28.01.2023)। इसी क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्याः– 454/सि0ख0नै0/अनु0/राजस्व(वन भूमि) दिनांक 16.03.2023 द्वारा निराकरण हेतु प्रस्तावित स्थल के राष्ट्रीय पार्क /वन्य जीव अभ्यारएण/वाइल्ड लाइफ कोरिडोर से दूरी प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक,आई0टी0सेल देहरादून से प्राप्त कर प्रेषित कर दी गयी थी। पुनः इसी क्रम में कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक(वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक) उत्तराखण्ड देहरादून के द्वारा उनके पत्र संख्या 1435(A/12–1 देहरादून दिनांक 22.11.2323 द्वारा दी गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर पुनः संशोधित आख्या/प्रतिउत्तर निम्नवत है

क0 सं0	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1.	Diversion area required is mentioned as 0.35ha in the proposal. However,on DSS analysis it is found out to be 0.14 ha.The User Agency may clarify the discrepancy.	कार्य स्थल पर योजना के अनुसार वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण कर कार्य की आवश्यकतानुसार ही माप ले कर क्षेत्रफल की गणना अनुसार 0.35 हेक्ट0 भूमि की आवश्यकता है जो कि ले–आउट प्लान में दर्शाया गया है। **K.M.L. file** अपलोड कर दी गयी हैं।
2.	State govt. is requested to submit the plantation scheme of 700 plants over 0.7 ha area for which details of area proposed for plantation be also furnished.	प्रभागीय स्तर से कार्यवाही आपेक्षित हैं।
3.	Shape and location of canal is depicted in the digital map of diversion area but not shown in KML file.	कालाढूँगी नहर का आकार एंव नहर की स्थिति दर्शाते हुए KML फाइल पुनः अपलोड कर दी गई हैं एंव नहर के आकार हेतु ड्राइग संलग्न हैं।

Scanned with OKEN Scanner

4.	The layout of the diversion head is not shown with all components and details like canal head regulator,fish ladder,under sluice,weir or barrage ,details of river training work,like guide bank and marginal bunds,silt excluder,bridges etc. The complete detail of above components are to be mentioned in the layout plan and shown in the KML file.	बिटिश काल से कालाढूँगी नहर पर कच्चा बन्धा (वायर क्रेट में बोल्डर भर कर या (coolie walling) बनाकर कालाढूँगी नहर पर पानी की आपूर्ति की जाती रही है यह डाइवर्जन कार्य केवल कच्चे बन्धे को पक्के कार्य में परिवर्तित किया जाना है। क्योंकि कच्चा बन्धा नदी का डिस्चार्ज बढने से हर मानसून में बह जाता है जिससे क्षेत्र के काश्तकारों को बार–बार सिंचाई हेतु कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जिससे हर वर्ष इसको बनाने और इस पर आने वाले खर्च से बचा जा सकेगा। यह योजना के केवल कालाढूँगी नहर पर पानी को डाइवर्ट करने हेतु है,यह वियर या बैराज नहीं है। अतः फीस लैडर,अन्डर सल्यूस,मारजिनल बंधा आदि की इस योजना में कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि पूर्व में कच्चा बंधा बनाया जाता रहा है उसी को सी०सी० ब्लॉक द्वारा पक्का निर्माण है और बैड बार का प्राविधान है जो कि नदी तल से नीचे होंगे। केवल डाइवर्जन हैड के दोनों तरफ गाइड वॉल व नहर में पानी हेतु हैड रेगुलेटर का प्राविधान किया गया है,जिसकी जी०बी०पंतनगर विश्वविद्यालय से vetted drawing संलग्न है।
5.	The canal discharge capacity has not been mentioned by the State Govt.	कालाढूँगी नहर का अधिकतम डिस्चार्ज 2.10 क्यूमेक या 74 क्यूसेक हैं।
6.	The location of 'Kaladhungi nahar' is nit shown in the KML file. State govt. is requested to mark the location of 'Kaladhungi nahar' in the KML file.	कालाढूँगी नहर दर्शाते हुए KML फाइल पुनः अपलोड कर दी गई है।
7.	In the field B-2.3 of part-I the village wise breakup of land is not provided .All the villages are mentioned together in the same cell and cumulative area is provided.State Govt. is requested to review the same.	इस योजना से ग्राम पंचायत विदरामपुर,रतनपुर,देवलचौड़ कालाढूँगी बंदोबस्ती,पूरनपुर,गुलजारपुर बंकी के कृषक लाभान्वित होंगे और यह योजना उपरोक्त लिखित ग्राम पंचायतो हेतु संयुक्त रुप से कालाढूँगी नहर से कृषकों की कृषि भूमि को सिंचित करने हेतु बनाई गयी है। और कालाढूँगी नहर में पानी चलाने हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हैड बनाया जाना है जिस हेतु 0.35 है० भूमि की आवश्यकता है। अतः यह भूमि सभी ग्राम पंचायतों हेतु सामुहिक है,अतः इस भूमि को संयुक्त रुप से प्रस्तावित किया गया है।
8.	In the field I(i) of Part I it is mentioned that the proposal does not form the part of protected area of Eco Sensitive Zone .Also in field 8.2(ii)& (iii) of part-II it is mentioned that it is not a part of wildlife corridor.Whereas,in the DSS analysis shows that the protected area is located in the Tiger Corridor or any other inviolate area.Hence,State Government is requested to clarify on this aspect with depiction of the project area on the tiger corridor map.It should be clearly mentioned that whether the Tiger Corridor is connecting two Protected area/Tiger Reserves.	हवाई दूरी प्रमाण पत्र एंव प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक) उत्तराखण्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

9.	Detailed muck disposal scheme with the detail of muck likely to be generated and the utilization of the generated muck is required to be submitted.	प्रमाण पत्र संलग्न है।
10.	Density of the forest is mentioned as 0.4 in part-II .However,IT it is also mentioned that no tree seeding is likely to be affected by the proposal.The State Government uis requested to look into this discrepancy.	जैसा कि density of forest part ii में 0.4 हेक्ट0 है। अवगत कराना है कि यह density नदी के चारो ओर स्थित वन क्षेत्र की है,जबकि कार्य नदी के जल मार्ग में होना है। जिसमें पेड़ इत्यादि नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी वृक्ष नहीं है अतः कार्य के दौरान किसी भी पेड का कटान नहीं होगा।
11.	State Govt. is required to uplpoad the all necessary documents in the field 13(iii,iv and v)in part-II.	प्रभागीय स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है । अतः प्रकरण में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड नैनीताल

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड वन्यजीव हेल्प लाइन नं० 18008909715

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

85 राजपुर रोड, देहरादून, फोन नं० 0135-2742884 ईमेल-cwlwua@yahoo.co.in

पत्रांकः 1435(A)/12-1 देहरादून, दिनांक 22 नवम्बर, 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

विषयः— जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लॉक के अन्तर्गत कालाढुंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाईवर्जन हेतु 0.35 है0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/IRRIG/ 155063/2022)

संदर्भः— आपका पत्रांक-1178/12-1, दिनांक 04.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लॉक के अन्तर्गत कालाढुंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाईवर्जन कार्य हेतु पूर्व से निर्मित कच्चे हैड/बन्धा को पक्के डाइवर्जन हैड के रूप में परिवर्तित किये जाने हेतु आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

आपके द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के आधार के अनुसार कालाढूंगी नहर हेतु बौर नदी पर प्रस्तावित डाइवर्जन हैड की **पवलगढ़ कंजरवेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 7.4 कि0मी0 है, कार्बेट टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 22.4 कि0मी0 एवं नैना देवी कंजरवेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 11.8 कि0मी0 है।** आप द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इस परियोजना के निर्माण से वनों एवं वन्यजीवों एवं उनके वास स्थल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

अतः आपके संदर्भित पत्र से प्रेषित संस्तुति/आख्या के आधार पर उक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर जनहित में सहमति निम्न शर्तो के साथ व्यक्त की जाती हैः—

1. यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्य के दौरान प्रस्तावक विभाग द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों का उल्लघंन न किया जाये।
2. वन बाहुल्य क्षेत्र होने के दृष्टिगत कार्य के दौरान कार्यरत श्रमिकों के द्वारा वन क्षेत्र में स्थगन नहीं किया जायेगा, वन क्षेत्रों से इतर स्थगन किया जाय।
3. सम्बन्धित ठेकेदार अथवा श्रमिकों के द्वारा वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार का पातन नहीं किया जायेगा तथा जलौनी लकडी का उपयोग वन क्षेत्र से नहीं किया जायेगा।
4. उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नदी के प्रवाह को प्रभावित किये बिना किया जायेगा।

भवदीय,

22/11

(डा0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

क्रमशः—2—

CWLW 2023/
General 2023_New

Scanned with OKEN Scanner

ांक 1436(A) /2-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आ
र्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव),
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराख

File No. पवि-3201-2D/1/2022-आई.टी.-FOREST DEPT (Computer No. 3017)

G2G

कार्यालय

"उत्तराखण्ड वन-सदैव आपके संग"

मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण,मूल्यांकन,आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण।

वन भवन, 85/87, राजपुर रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड, नैनीताल।

विषय :- जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हेतु हैड हेतु 0.35 है0 वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 234/सि0ख0नै0/Head Diversion, दिनांक 03-02-2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में रामनगर वन प्रभाग, रामनगर के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लाक अन्तर्गत कालाढूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन क्षेत्र की आपके द्वारा दी गई केएमएल फाइल के जीपीएस प्वाइंट से निकटतम हवाई दूरी निम्नवत आंकलित की गई है:-

क्र0सं0	प्रस्तावित परियोजना का नाम	केएमएल फाइल के जीपीएस प्वाइंट	वन्यजीव अभ्यारण्य/राष्ट्रीय पार्क/आरक्षित वन क्षेत्र	हवाई दूरी
1	कालाढूंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाइवर्जन हैड 0.35 है0	79°20'9.0"E, 29°18'43.9"N	पावलगढ़ कंर्जवेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से	7.4 कि0मी0
		79°20'9.0"E, 29°18'43.9"N	कार्बेट टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से	22.4 कि0मी0
		79°20'12.2"E, 29°18'43.7"N	नैना देवी कंर्जवेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से	11.8 कि0मी0

उपरोक्तानुसार हवाई दूरी दी गयी केएमएल के अनुसार जी0आई0एस0 तकनीकी से 1:50000 स्केल पर आधारित डिजिटाइज्ड मानचित्र से सन्निकट आंकलित की गयी है। जिसमें ± 0.5 कि0मी0 का एरर सम्भव है।

भवदीय,

Signed by Manoj Chandran
Date: 10-03-2023 13:59:21

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्नक- संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

Generated from eOffice by TAJINDER KAUR, GIS-TAJINDERK, GIS ANALYST, FOREST DEPT on 10/03/2023 04:38 pm

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner